राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1093/2011/भीलवाडा

मैसर्स तिरूपति एण्टरप्राइजेज
गुलाबपुरा,भीलवाडा — अपीलीर्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन,भीलवाडा — प्रत्यर्थी

अपील संख्या 1094/2011/भीलवाडा

मैसर्स शिवशक्ति एण्टरप्राइजेज
गुलाबपुरा,भीलवाडा — अपीलीर्थी

बनाम

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन,भीलवाडा — प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य
श्री मदन लाल,सदस्य

उपस्थितः
श्री ओ.पी.दोसाया
अभिभाषक — अपीलार्थीगण की ओर से
श्री डी.पी.ओझा
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांकः 10.10.2014

निर्णय

ये दोनों अपीलें अपीलीर्थी व्यवहारियों की ओर से उपायुक्त(अपील्स) वाणिज्यिक कर, भीलवाडा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 37/सीएसटी//09–10 एवं 48/रवैट/09–10 में पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 25.01.2011 एवं 04.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त,प्रतिकरापवंचन, भीलवाडा (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 एवं 2006–07 के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2009 एवं 05.05.2009 को पारित करते हुए सृजित की है, को यथावत रखते हुए अपीलें अस्वीकार की हैं, जिनके विरूद्ध ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरणों के संक्षप्ति तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी को ज्ञात होने पर कि भीलवाडा एवं जयपुर संभाग के पंजीकृत एक्सप्लोसिव व्यवसायियों द्वारा मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में अपने नजदीकी रिश्तेदारों या डमी प्रतिनिधियों के नाम

से वाणिज्यिक कर विभाग में करावचंन की मंशा से पंजीयन लेकर राज्य के भीतर की गई बिक्री को कूटरचित अन्तर्राज्जीय बिक्री दर्शाकर फेब्रिकेटेड घोषणा पत्र प्रस्तुत कर करापवंचन किया जा रहा है, के तथ्य की जांच हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,जयपुर के निर्देशानुसार जांच दल गठित कर मध्य प्रदेश में चिन्हित फर्मो द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में दर्शायी घोषणा पत्रों के समर्थन से की गई खरीद बिक्री की जांच करवाई गई तथा मध्य प्रदेश विभाग द्वारा उपलब्ध खरीद बिक्री से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त किये गये।

अपील संख्या 1093/2011/भीलवाडा के सम्बन्ध में प्राप्त किये गये दस्तावेजों से मिलान करने पर मैसर्स अठाना एक्सप्लोजिव,अठाना, नीमच, मध्य प्रदेश द्वारा जारी सी फार्म संख्या सी—1—392138 में अंकित राशि रू. 3490850/— सत्यापित राशि रू. 37400/— अन्तर राशि रू. 3453450/— एवं मैसर्स शगुन एण्टरप्राईजेज शाजाहपुर, मध्य प्रदेश द्वारा जारी सी फार्म संख्या सी—1—089128 में अंकित राशि रू. 751404/— सत्यापित राशि रू. निल/— अन्तर राशि रू. 751404/— कुल अन्तर राशि रू. 4024854/— को कर निर्धारण अधिकारी ने अपवंचित बिक्री राशि मानते हुए उस पर 18.4 प्रतिशत की दर से कर रू. 740573/—,अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 492481/—तथा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू. 1481146/—आरोपित करते हुए कुल रू. 2714200/—की मांग सृजित की।

इसी प्रकार अपील संख्या 1094/2011/भीलवाडा के प्रकरण में बिक्री विवरिणयों की जांच करने पर पाया गया कि व्यवसायी फार्म द्वारा आलोच्य अवधि में मैसर्स शिवानी एण्टरप्राईजेज, गंगरार से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में खरीद राशि रू. 1,20,06,378/— पर 12.5 प्रतिशत की दर से वैट रू. 15,00,797/—का आई टी सी लाभ प्राप्त किया गया है। परन्तु आई टी सी की जांच किये जाने पर यह तथ्य उजागर हुआ कि विक्रेता फर्म द्वारा अपना व्यवसाय दिनांक 31.3.2006 से बन्द कर दिया गया है तथा पंजीयन दिनांक 1.4.2006 से निरस्त करवा लिया गया है अतः दर्शाई गई खरीद सत्यापित नहीं होने से देय वेट राजकोष में जमा नहीं हुआ है इसलिए आई टी सी का लाभ दिया जाना विधि के विरूद्ध है। इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तिमाही में खरीद राशि रू. 1,20,06,378/— पर 12.5 प्रतिशत की दर से वैट रू. 15,00,797/—, अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत ब्याज रू. 486677/— तथा अधिनियम की धारा 61 (1)(बी) के अन्तर्गत शास्ति रू. 3001594/—आरोपित करते हुए कुल रू. 49,89,068/—मांग कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित की गई ।

उक्त दोनों अपीलों में सृजित मांग राशियों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशियों को यथावत रखते हुए अपीलें अस्वीकार की हैं, जिनसे क्षुब्ध होकर उपरोक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थियों द्वारा नियमित रूप से तिमाही बिक्री के विवरण पत्र प्रस्तुत करके उसके द्वारा की गई राज्य के भीतर एवं अन्तर्राज्जीय बिक्री को सही मदों में दर्शाया गया है। उनका कथन है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर के निर्देशानुसार गठित जांच दल के द्वारा राज्य के बाहर के क्रेता व्यवहारियों की जांच एवं सत्यापन को आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा दर्शायी गई अन्तर्राज्जीय बिक्री को कूटरचित घोषणा पत्रों के माध्यम से किया जाना निर्धारित करते हुए बिक्री को अन्तर्राज्जीय के स्थान पर राज्य के भीतर की गई बिक्री निर्धारित करते हुए अन्तर दर से कर, ब्याज एवं शास्तियॉ आरोपित की गई,जो अविधिक होने से अपास्त योग्य हैं। उनका कथन है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर के निर्देशानुसार गठित जांच दल के द्वारा जांच किया जाना अंकित किया गया है किन्तु इस परिप्रेक्ष्य में की गई जांच रिपोर्ट से अपीलार्थीगण को ना तो अवगत कराया गया और ना ही उसकी प्रति उन्हें उपलब्ध करवाई गई, और ना ही की गई जांच का प्रतिपरीक्षण कराने का कोई अवसर प्रदान किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष उक्त तथ्यों को बहस के दौरान रखा गया था किन्तु उन्होंने उसको नजरन्दाज करते हुए अपीलें अस्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा है, जो अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त कर अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधि के अनुरूप कर निर्धारण आदेश पारित कर मांग सृजित की गई है,जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थीगण द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर, उन्होंने प्रकरण के तथ्यों का विस्तृत विवेचन के पश्चात अपीलें अस्वीकार की हैं, जो उचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार कर निर्धारण अधिकारी को ज्ञात होने पर कि भीलवाडा एवं

जयपुर संभाग के पंजीकृत एक्सप्लोसिव व्यवसायियों द्वारा मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में अपने नजदीकी रिश्तेदारों या डमी प्रतिनिधियों के नाम से वाणिज्यिक कर विभाग में करावचंन की मंशा से पंजीयन लेकर राज्य के भीतर की गई बिक्री को कूटरचित अन्तर्राज्जीय बिक्री दर्शाकर फेब्रिकेटेड घोषणा पत्र प्रस्तुत कर करापवंचन किया जा रहा है, के तथ्य की जांच हेतु आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग,जयपुर के निर्देशानुसार जांच दल गठित कर मध्य प्रदेश में चिन्हित फर्मो द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में दर्शायी घोषणा पत्रों के समर्थन से की गई खरीद बिक्री की जांच करवाई गई तथा मध्य प्रदेश विभाग से खरीद बिक्री के दस्तावेज प्राप्त किये गये। दस्तावेजों के आधार पर सी—फार्म के समर्थन से क्रय किये गये माल का सत्यापन करने पर, जिस राशि का सत्यापन नहीं हुआ, उस राशि पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर,ब्याज एवं शास्तियॉ आरोपित की गई ।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया है कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर के निर्देशानुसार गठित जांच दल के द्वारा जांच कर जो रिपोर्ट तैयार की गई,उसका प्रतिपरीक्षण कराने का अवसर अपीलार्थियों को प्रदान नहीं किया गया है,जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि गठित जांच दल के द्वारा जांच कर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उसका प्रतिपरीक्षण कराने का अवसर प्रदान किया जाना उपलब्ध रेकार्ड से प्रतीत नहीं होता है, जिससे अपीलार्थी व्यवहारी के द्वारा प्रस्तुत कथन को बल मिलता है कि जांच दल द्वारा ना तो अपीलार्थी व्यवहारियों को जांच रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई और ना ही जांच के सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारियों को जांच के सम्बन्ध में प्रति परीक्षण कर अवसर प्रदान किया गया है।

अपीलीर्थी व्यवहारियों के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान अपील संख्या 1094/11 के सम्बन्ध में बताया गया है कि विक्रेता मैसर्स शिवानी एण्टरप्राईजेज का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 01.02.2006 से निरस्त हो जाने का तथ्य प्रत्यर्थी द्वारा बताया गया है परन्तु उक्त फर्म का दिनांक 01.04.2006 से दिनांक 31.03.2007 तक का कर निर्धारण सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत चित्तौडगढ के द्वारा दिनांक 18.03.2010 को पारित किया गया है, जिसकी छाया प्रति अपील मीमो के साथ संलग्न है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि जांच दल द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई है,उसकी प्रति अपीलार्थी व्यहारियों को ना तो उपलब्ध कराई गई और ना ही प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान किया गया है। प्रकरण के विवेचित तथ्यों से यह भी ज्ञात होता है कि जांच रिपोर्ट तैयार करते हुए समग्र

दस्तावेज़ों एवं तथ्यों की जांच किये बिना ही जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर यह पीठ प्रस्तुत दोनों प्रकरणों को प्रतिप्रेषित कर कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश देती है कि जांच दल द्वारा की गई जांच रिपोर्ट अपालार्थी व्यवहारियों को उपलब्ध करवाकर उससे प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान करें तथा सुनवाई के समय जो दस्तावेजों अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा प्रस्तुत किये जाये उनकी गहनता से जांच एवं समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात इस निर्णय की प्राप्ति के 60 दिवस के भीतर न्याय संगत आदेश पारित करें।

फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश को अपास्त करते हुए हस्तगत प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया ।

10.12.2014

(मदन लाल)
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य